निरीक्षण आख्या **अधिशासी, अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान, कोटद्वार के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, स.ले.प.अ., श्री दीपेश कुमार, स.ले.प.अ. एवं मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.08.2016 से 31.08.2016 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कुमार एवं श्री ए.के.सिंह, स.ले.प.अ. के द्वारा दिनांक 09.06.2014 से 18.06.2014 तक श्री बी.डी.सिंह, ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा सेअब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री शैलेंद्र सिंह मेवाड़	अधिशासी अभियंता	वर्ष 2011	31-07-2015
2.	श्री उमेश प्रकाश बहुगुणा	अधिशासी अभियंता	01-08-2015	वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

क्र.सं.	**ले.प.नि.प्रति.सं.**	**भाग-दो(अ)**	**भाग-दो(ब)**
1.	19/2010-11	1,2	1
2.	83/2014-15	-	1,2

(1) सतत अनियमितताये:- शून्य

(2) अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

3. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरणः-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैर-स्थापना**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2013-14	392.65	392.65	764.62	764.62
2014-15	449.46	449.46	669.76	669.76
2015-16	642.89	642.89	862.08	862.08

भाग - दो(ब)

प्रस्तर-1- विभिन्न मदों से वसूल की जाने वाली धनराशि का लंबित रहना ₹ 474.48 लाख।

अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कोटद्वार के जलकर/जलमूल्य एवं सीवर सीट से संबंधित अभिलेखों एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा जलकर एवं सीवर कर के रूप में क्रमशः ₹ 9.40 लाख एवं ₹ 1.10 लाख (कुल ₹ 10.50 लाख) की धनराशि की वसूली वर्ष 2005-06 से लेखापरीक्षा तिथि (08/2016) तक लंबित पड़ी थी। इसी प्रकार माह 03/2016 तक विभिन्न मदों में कुल ₹ 463.98 लाख की धनराशि की वसूली लंबित थी। विवरण निम्नवतः है।

मद का नाम	माह 03/2015 तक धनराशि जिसकी वसूली लंबित है	वर्ष 2015-16 की मांग की धनराशि	वर्ष 2015-16 में वसूल की गयी धनराशि	माह 03/2016 तक कुल धनराशि जिसकी वसूली लंबित है
जलकर	9.40	-	-	9.40
सीवर कर	1.10	-	-	1.10
जल मूल्य				
नगरीय	171.79	298.80	162.28	308.31
ग्रामीण	79.26	347.06	309.40	116.92
सीवर सीट				
नगरीय	7.15	10.76	9.90	8.01
ग्रामीण	0.07	0.24	0.25	0.06
जल स्तम्भ शुल्क	28.24	11.16	8.72	30.68
कुल योग				**474.48**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इकाई में जल मूल्य के रूप में ₹ 425.23 लाख, सीवर सीट के रूप में ₹ 8.07 लाख तथा जल स्तम्भ के रूप में ₹ 30.68 लाख की धनराशि की वसूली लंबित पड़ी थी। इस प्रकार विभिन्न मदों में कुल ₹ 474.48 लाख की धनराशि की वसूली लंबित थी जिसमें से ₹ 10.50 लाख की धनराशि की वसूली दस वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि वसूली की कार्यवाही गतिमान है।

अतः विभिन्न कर एवं मूल्य के रूप में वसूल की जाने वाली ₹ 474.48 लाख की धनराशि की वसूली लंबित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - दो(ब)

प्रस्तर-2- विभाग द्वारा वन विभाग से पूर्वानुमति न लेने के कारण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि ₹ 10 लाख का अवरूद्ध रहना।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कोटद्वार, के पेयजल कार्यक्रम के संचालन एवं रखरखाव से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के संचालन एवं रखरखाव मद में विकास क्षेत्र येमकेशवर की पूण्डरासू पंपिग योजना के अंतर्गत (नीलकंठ महादेव मंदिर से मोनी बाबा गुफा तक) मरम्मत एवं विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे जलाशय बनाकर पूर्व बिछी लाइनों से जोड़ने हेतु पत्रांक 379/NRDWP/खाते से बचत धनराशि से आवंटन/01/2015-16 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा ₹ 10 लाख की धनराशि स्वीकृत/आवंटित की गयी थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह कार्य करने हेतु राजाजी पार्क का क्षेत्र भी सम्मिलित था जिसमें राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार कोई भी गैर वानिकी कार्य/गतिविधि भारत सरकार की अनुमति के उपरान्त ही की जा सकती है। इकाई द्वारा माह 04/2016 में इस कार्य के लिए निविदा आंमत्रित की गयी तथा दिनांक 22.04.2016 को ठेकेदार को कार्य आवंटित इस शर्त के साथ किया गया कि कार्य प्रारम्भ की तिथि 23.04.2016 एवं कार्य पूर्ण की तिथि 22.07.2016 होगी। आगे यह भी पाया गया कि विभागीय शर्तों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण न होने पर जमानत की धनराशि जब्त की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक प्रारम्भ ही नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि वन भूमि होने के कारण कार्य करने की अनुमति नहीं मिली। अतः इकाई द्वारा इस संबंध में पूर्व में अनुमति न लेने के कारण न सिर्फ इस योजना से लाभार्थी वंचित रहे बल्कि आवंटित धनराशि ₹ 10 लाख भी अवरूद्ध रही।

अतः विभाग द्वारा वन विभाग की पूर्वानुमति न लेने के कारण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि ₹ 10 लाख की धनराशि अवरूद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - दो(ब)

प्रस्तर-3- ₹ 29.03 लाख की अर्जित ब्याज की धनराशि का खातों में अवरूद्ध पड़े रहना।

इकाई द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि दैवी आपदा एवं जिला/राज्य योजना के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों के लिए आवंटित धनराशि के रखरखाव के लिए क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक कोटद्वार (09/2013 में) एवं दी नैनीताल बैंक लि. कोटद्वार (11/2000 में) में खोले गए थे। जिला/राज्य योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि पर माह 11/2000 से 08/2006 तक अर्जित ब्याज की धनराशि का विवरण उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण उक्त अवधि में लेखापरीक्षा में अर्जित ब्याज की गणना नहीं की जा सकी एवं माह सितंबर 2006 से मार्च 2016 के अंत तक इस मद में कुल ₹ 24.95 लाख तथा दैवी आपदा मद में ₹ 4.08 लाख की धनरशि ब्याज के रूप में अर्जित हुई थी। विवरण निम्नानुसार है-

खाता सं.	मद	अर्जित ब्याज (03/2016 तक)	जमा की गयी धनराशि (03/2016 तक)	अवशेष ब्याज की धनराशि
95861	दैवी आपदा	408503	-	408503
00148	जिला/राज्य योजना	2495150	-	2495150
	योग	**2903653**		**2903653**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ब्याज के रूप में अर्जित कुल ₹ 29.03 लाख की धनराशि जमा न कर संबंधित खातों में अवरूद्ध पड़ी हुई थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुए बताया गया कि दैवी आपदा एवं जिला/राज्य योजना से संबंधित अर्जित ब्याज की धनराशि के संबंध में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी। जिला/राज्य योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि पर माह 11/2000 से 08/2006 तक अर्जित ब्याज की धनराशि का विवरण उपलब्ध न होने के संबंध में बताया गया कि खाता संख्या- 00148 में माह 11/2000 से 08/2006 तक अर्जित ब्याज की धनराशि का विवरण प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः ₹ 29.03 लाख की अर्जित ब्याज की धनराशि का खातों में अवरूद्ध पड़े रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- ₹ 33.35 लाख धनराशि वसूली हेतु लंबित रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 171 अनुसार पी.आई. (स्थायी अग्रिम) के संदर्भ में धारक को रोकड़/वाउचर प्रस्तुत करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए तथा नियम 172 के अनुसार टी.आई. (अस्थाई अग्रिम) पूर्व में प्राप्त बाऊचर के सापेक्ष प्रदान किया जाना है इसका लेखा भी यथाशीघ्र बंद किया जाना चाहिए, परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय के मासिक लेखा महा 03/2016 एवं विविध अग्रिम अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 31.03.2014 से वर्तमान तक अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध, टी.आई, पी.आई., विविध अग्रिम की निम्नलिखित धनराशियों की वसूली लम्बित है।

टी.आई. ₹ में	**पी.आई. ₹ में**	**विविध अग्रिम ₹ में**
1088371	48820	2198494
	कुल धनराशि	**3335685**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने स्वीकार करते हुए बताया कि समायोजन कर लिया जाएगा, ₹ 33.35 लाख धनराशि वसूली हेतु लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान/निराकरण स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें अलग से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अधिशासी, अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कोटद्वार को इस आशय से प्रेषित की गई कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)